संख्या-551-प्र0सु0-01/पाकालि-2003-21प्र0सु0/2001 दिनॉक नवम्बर 12, 2003

कार्यालय ज्ञाप

वर्तमान में निम्न कार्य जो विद्युत वितरण निगमों से सम्बन्धित हैं, के कार्य निष्पादन में व्याप्त भ्रम, कि ये कार्य उ0प्र0 पावर कारपोरेशन स्तर से अथवा सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम के स्तर से निष्पादित किये जायेंगे, की स्थिति को समाप्त किये जाने के उददेश्य से एतद द्वारा यह आदेशित किया जाता है कि निम्न वर्णित समस्त कार्य उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन प्रबन्धन द्वारा निष्पादित नहीं किये जायेंगें एवं ये समस्त कार्य सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम द्वारा ही निष्पादित किये जायेंगें -

(अ) वाणिज्यिक कार्य -

1. समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के वाणिज्यिक कार्य।
2. विद्युत चोरी एवं अन्य अनियमितताओं की जॉच सम्बन्धी कार्य।
3. कम्प्यूटर बिलिंग से सम्बन्धित समस्त कार्य।
4. उपभोक्ताओं को विद्युत भार स्वीकृत करने सम्बन्धी कार्य।
5. उपभोक्ताओं के टैरिफ निर्वारण सम्बन्धी कार्य।
6. राजस्व बजट से सम्बन्धित कार्य।
7. राजस्व निर्धारण एवं वसूली से सम्बन्धित कार्य।
8. विद्युत हानियों को कम करने सम्बन्धी समस्त कार्य।
9. विभिन्न न्यायालयों में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा दायर प्रकरणों से सम्बन्धित कार्य।
10. उपरोक्त से सम्बन्धित आडिट पैरा एवं विधानसभा/विधान परिषद एवं लोकसभा प्रश्न।
11. उपरोक्त से सम्बन्धित विधानसभा/विधान परिषद एवं लोकसभा आश्वासन।
12. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (वाणिज्य), लखनऊ द्वारा वर्तमान में किये जा रहे अन्य समस्त कार्य।

(ब) वितरण से सम्बन्धित कार्यः-

1. द्वितीय प्रणाली (33 केवी) के नियोजन, उपकेन्द्र/लाइनों के परिकल्प, निर्माण एवं इनके ऊर्जीकरण से सम्बन्धित समस्त कार्य जिसमें इनकी क्षमता वृद्धि भी सम्मिलित है।
2. वितरण प्रणाली (11 केवी तथा निम्न विभव) से सम्बन्धित उपकेन्द्र/लाइनों के नियोजन, परिकल्पना, निर्माण तथा ऊर्जीकरण इत्यादि से सम्बन्धित समस्त कार्य।
3. उपरोक्त कार्यों हेतु आवश्यक सामग्री का प्रबन्ध एवं क्रय सम्बन्धी समस्त कार्य।
4. द्वितीय प्रणाली तथा वितरण प्रणाली के विकास एवं क्रियान्यवयन हेतु नीति/मानकों के निर्धारण सम्बन्धी समस्त कार्य।
5. ग्रामीण विद्युतीकरण से सम्बन्धित समस्त कार्य (आर.ई.सी. स्कीम व पी.एफ.सी. से ऋृण लेने सम्बन्धी कार्यों को सम्मिलित करते हुये)।
6. सरकारी एवं निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण से सम्बन्धित कार्य।
7. विभिन्न लघु तापीय एवं डीजल पावर हाउस के डिस्पोजल सम्बन्धी कार्य।

8. कास्ट शेडयूल तैयार करने सर्विस कनेक्शन चार्जेज, सिस्टम लोडिंग चार्जेज प्रकमण शुल्क, निजी नलकूप के फिक्स्ड चार्जेज व अम्बेदकर ग्रामों के एकमुश्त सर्विस कनेक्शन चार्जेज के निर्धारण सम्बन्धी समस्त कार्य।

9. महाप्रबन्धक (रेस्पो) द्वारा वर्तमान में किये जा रहे अन्य समस्त कार्य।

(स) <u>औद्योगिक सम्बन्ध से सम्बन्धित कार्यः-</u>

1. विद्युत दुर्घटना के मामलों में पावर कारपोरेशनप/उ0प्र0शासन के नियमों के प्रतिबध्धाधीन क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्रकरणों का ससमय निस्तारण एवं इनके अनुश्रवण सम्बन्धी समस्त कार्य।
2. विभिन्नि यूनियनों/कर्मचारी संघों/एसोसियेशनों तथा सेवा संघों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न स्तर के कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणें के निस्तारण सम्बन्धी समस्त कार्य, उनसे सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण सम्बन्धी वार्तायें।
3. औद्योगिक न्यायाधिकरण/लेबर कोर्ट/कौंसिलियेशन बोर्ड एवं विभिन्न न्यायालयों में कार्मिकों द्वारा दायर विधिक मामलों से सम्बन्धित कार्य एवं उनके निर्णयों के क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य।

(द) <u>जानपद वितरण से सम्बन्धित कार्य-</u>

1. प्रत्येक विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत एक जानपद विद्युत वितरण मण्डल स्थापित है। सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम के समस्त जानपदीय कार्य एवं उनके अनुरक्षण इसी मण्डल के नियन्त्रणाधीन सम्पादित किये जायेंगे।
2. वितरण स्कन्ध से सम्बन्धित आवासी, अनावासीय एवं कार्यालय के भवनों के मानकीकरण सम्बन्धी समस्त कार्य।
3. महाप्रबन्धक (जानपद वितरण) द्वारा वर्तमान में देखे जा रहे अन्य समस्त कार्य।

(क) <u>प्रवर्तन एवं सतर्कता सम्बन्धी कार्य-</u>

1. प्रत्येक विद्युत वितरण निगम द्वारा उनके भैगोलिक सीमा के अन्तर्गत सतर्कता प्रवर्तन एवं सुरक्षा सम्बन्धी समस्त कार्य सम्बन्धित निगम स्तर पर किये जायेंगे जो वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक के अधीन स्थापित सतर्कता एवं प्रवर्तन ईकाई, शक्ति भवन, लखनऊ द्वारा किये जाते हैं।
2. पूर्व स्थापित समस्त प्रवर्तन दल सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक के नियन्त्रणाधीन होंगें तथा उन्हीं के दिशा निर्देशों में कार्य करेंगें जिससे विद्युत हानियों पर प्रभावी नियन्त्रण सम्भव हो सके।
3. प्रवर्तन दलों के क्रिया-कलापों को सम्पादित किये जाने हेतु दिशा निर्देश भी सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम स्तर से जारी किये जायेंगें।

(ख) नवीन इकाईयों के सृजन सम्बन्धी कार्य एवं इनमें नवीन पदो ंके स्वीकृति सम्बन्धी कार्य।

(ग) सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम की विभिन्न ईकाईयों मे स्वीकृत पदो ंके परिविस्तारण से सम्बन्धित कार्य

(घ) वितरण प्रणाली में सुधार से सम्बन्धित कार्य योजनाओं के नियोजन से सम्बन्धित कार्य तथा इनका सक्षम स्तर से अनुमोदन एवं धन की व्यवस्था भी सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम स्तर से सम्पादित किये जायेंगें।

(च) **कार्मिकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य–**

विभिन्न विद्युत वितरण निगमों में प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन के विकास की व्यवस्था अभी विकसित नहीं है। अत: प्रत्येक विद्धुत वितरण निगम अपने-अपने कार्मिकों को समय-समय पर प्रशिक्षण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा स्थापित प्रशिक्षण संस्थान में कराया जायेगा तथा इसके निये उन्हें उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा निर्धारित शुल्क देना होगा। कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिये प्रत्येक विद्युत वितरण निगम अपने बजट में यथोचित प्राविधान करेंगें।

(छ) उपरोक्त समस्त प्रकरणों से सम्बन्धित विधानसभा/विधान परिषद व लोकसभा के प्रश्नों/आश्वासनों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

2. सामग्री प्रबन्ध एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा वर्तमान में चल रहे अनुबन्धों की परफारमेन्स बैंक गारण्टी, सिक्योरिटी डिपाजिट, आर्बीट्रेशन एवं वर्तमान में विभिन्न न्यायालयों में चल रहे विवादों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने हेतु तथा वर्तमान में चल रहे अनुबन्धों के अवशेष कार्यों के सम्पादित करने हेतु एक वाइडिंग मण्डल के सृजन किये जाने की स्वीकति के आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

3. उपरोक्त आदेश निर्गमन तिथि से प्रभावी होंगे।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक